न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

बइजलास राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनुवान सरकार बनाम हरलाल आदि

प्रार्थना पत्र संख्या 507 सन् 2018

निर्णय दिनांक : 19.03.2025

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तारानगर (चूरू)

– प्रार्थी

बनाम

1. हरलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजूवास तहसील तारानगर (चूरू)
2. सुगनचन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजूवास तहसील तारानगर (चूरू)
3. बजरंगलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजूवास तहसील तारानगर (चूरू)
4. शंकरलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजूवास तहसील तारानगर (चूरू)
5. महावीर पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजूवास तहसील तारानगर (चूरू)
6. ओमप्रकाश पुत्र गंगाजल जाति ब्राह्मण निवासी गाजूवास तहसील तारानगर (चूरू)
7. जगदीश पुत्र गंगाजल जाति ब्राह्मण निवासी गाजूवास तहसील तारानगर (चूरू)
8. अमीचन्द पुत्र गंगाजल जाति ब्राह्मण निवासी गाजूवास तहसील तारानगर (चूरू)
9. कुरड़ाराम पुत्र पतराम जाति ब्राह्मण निवासी गाजूवास तहसील तारानगर (चूरू)
10. मैनादेवी पत्नी औमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी गाजूवास तहसील तारानगर (चूरू)

– अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. पैरोकारराज वास्ते प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार प्रजापत वास्ते अप्राथी संख्या 10

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रोही ग्राम गाजुवास तहसील तारानगर (चूरू) के खसरा नम्बर 32 तादादी 04–00 बीघा, खसरा नम्बर 65 तादादी 23–08 बीघा, खसरा नम्बर 139 तादादी 09–12 बीघा भूमि जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि के खसरा नम्बर 32 तादादी 04–00 बीघा में से 02–10 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 65 तादादी 23–08 बीघा में से 20–00 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 139 तादादी 09–12 बीघा सम्पूर्ण भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

किया जाकर कृषि भूमि को खुर्दबुर्द किया जा रहा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 की शर्तों का उल्लघंन किया जा रहा है। इसलिए उक्त कृषि भूमि को सिवायचक घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अन्त में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि रोही ग्राम गाजुवास तहसील तारानगर (चूरू) के खसरा नम्बर 32 तादादी 04–00 बीघा में से 02–10 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 65 तादादी 23–08 बीघा में से 20–00 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 139 तादादी 09–12 बीघा सम्पूर्ण भूमि (Annexure–1 में दर्शाई गई भूमि) को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर कृषि भूमि की शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त वर्णित भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत सिवायचक घोषित कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध बेदखली के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। जिस पर दिनांक 26.02.2019 को अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री केदारमल ने वकालतनामा प्रस्तुत करने की अण्डरटेकिंग ली। दिनांक 27.03.2019 को अप्रार्थी संख्या 10 मैना देवी की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार ने वकालतनामा व जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 04.06.2020 को बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 के अधिवक्ता व इन स्वयं की लगातार अनुपस्थिति के कारण उक्त अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अप्रार्थीगण द्वारा विवादित कृषि भूमि रोही ग्राम गाजुवास तहसील तारानगर को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर कृषि भूमि की शर्तों का उल्लंघन करने पर इसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत सिवायचक घोषित कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 10 ने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई आपति नहीं नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर ससम्मान मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचनों, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। कृषि भूमि रोही ग्राम गाजुवास तहसील तारानगर के खसरा संख्या 32 तादादी 04–00 बीघा में से 02–10 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 65 तादादी

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

23–08 बीघा में से 20–00 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 139 तादादी 09–12 बीघा सम्पूर्ण भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग होना पाया गया। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना प्रार्थी पुष्ट होना पाया जाता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी बरूये तहसीलदार, तारानगर स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि रोही ग्राम गाजुवास तहसील तारानगर के खसरा संख्या 32 तादादी 04–00 बीघा में से 02–10 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 65 तादादी 23–08 बीघा में से 20–00 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 139 तादादी 09–12 बीघा सम्पूर्ण भूमि (Annexure–1 में दर्शाई गई भूमि) का बिना सक्षक स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने तथा कृषि भूमि की शर्तों के उल्लंघन के कारण सिवायचक दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बरूये तहसीलदार, तारानगर स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि ग्राम गाजुवास तहसील तारानगर के खसरा संख्या 32 तादादी 04–00 बीघा में से 02–10 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 65 तादादी 23–08 बीघा में से 20–00 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 139 तादादी 09–12 बीघा सम्पूर्ण भूमि का बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग होने तथा कृषि भूमि की शर्तों का उल्लघन करने के कारण उक्त विवादित कृषि भूमि जिसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है, में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार खारिज कर इसे सिवायचक दर्ज करने तथा अप्रार्थीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार, तारानगर को भेजी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)